

## नालको की शिकायत निवारण नीति हेतु नियम एवं शर्तें

1. केवल वह शिकायतें, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, नालको के अधिकार क्षेत्र में हैं तथा भ्रष्टाचार के आरोपों से युक्त तथा/अथवा सतर्कता दृष्टिकोण वाली हैं, उनकी नालको के सतर्कता विभाग द्वारा जांच/निपटान किया जाएगा।
2. एकबार कोई शिकायत मुख्य सतर्कता अधिकारी, नालको के कार्यालय में दर्ज होने के पश्चात, आगे उस विषय में पत्राचार विचारणीय नहीं होगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिकायतों की जांच की जाए तथा उनका तार्किक निष्कर्ष निकाला जाए।
3. सतर्कता विभाग केवल भ्रष्टाचार के मामलों का निवारण करता है, अतः मुख्य सतर्कता अधिकारी, नालको को की गई शिकायतें वेदना पर केंद्रीत न हो।
4. अधिमानतः अपनी कार्यालयी कार्य निर्वहन के दौरान नालको के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी, नालको को भेजी जा सकती हैं।
5. शिकायतें तथ्यात्मक विवरण, निरीक्षण योग्य तथ्यों एवं संबंधित विषयों से युक्त होनी चाहिए। यह अस्पष्ट अथवा अनावश्यक सामान्य कथनों से युक्त न हों।
6. नवीनतम सीवीसी के परिपत्र सं. 07/11/2014 दिनांक 25/11/2014 के अनुसार बेनाम/उपनाम के तहत शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने के दौरान अपना उचित नाम, डाक पता तथा संपर्क विवरण प्रदान करने का परामर्श दिया जाता है। यह सीवीसी के परिपत्र सं. 01/01/2015 दिनांक 23/01/2015 के प्रावधानों के अनुसार शिकायतकर्ता से पुष्टि प्राप्त करने हेतु वांछित है।
7. हस्ताक्षर-रहित, बिना हस्ताक्षर के शिकायतों की कोई प्रमाणिकता नहीं होती। इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बेनाम/छद्म नाम वाली मानते हुए रख दी जाएगी।  
शिकायतें, जिन पर सतर्कता का कोई दृष्टिकोण नहीं है, उन्हें वांछित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को संदर्भित किया जाएगा।
8. शिकायतकर्ताओं को लगातार समान विषय पर पुनः शिकायत दर्ज न करने के लिए भी परामर्श दिया जाता है।
9. यदि सरकारी नौकर के विरुद्ध एक शिकायत दुर्भावनापूर्ण, तंग करने के लिए, बेबुनियाद पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:  
“शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता एक सरकारी नौकर है तो वह धारा 182 भारतीय दंड संहिता के तहत उपयुक्त कार्रवाई से अतिरिक्त में अथवा एक विकल्प के तौर पर विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है”, विवरण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन पर पैरा सं.26 विशेष अध्याय देखें।



**Terms & conditions for**  
**NALCO Complaint Handling Policy**

1. Only those complaints which are within the jurisdiction of CVO, NALCO and contain the allegations of corruption and/or having vigilance angle will be investigated/ dealt by the Vigilance Department of NALCO.
2. Once a complaint is registered in the office of CVO, NALCO, further correspondence in the matter will not be entertained. However, it will be ensured that the complaints are investigated and taken to their logical conclusion.
3. As the vigilance Department deals only the matters of corruption, redressal of grievances should not be the focus of the complaints made to the CVO, NALCO.
4. The complaints regarding the alleged corruption by the employees of NALCO while discharging their official duties preferably should be addressed to the CVO, NALCO.
5. The complaints must contain the factual details, verifiable facts & related matters. They should not be vague or contain sweeping general statements.
6. No action will be taken on the anonymous/pseudonymous complaints as per the latest CVC's Circular No. 07/11/2014 dated 25/11/2014. The complainants are therefore advised to give their proper name, postal address and contacts details while lodging complaints. This is required for obtaining confirmation from the complainant in terms of CVC's Circular No. 01/01/2015 dt. 23/01/2015.
7. The unsigned complaints, in absence of the signatures, do not have any authenticity. Hence the same will be treated as such and will be filed with no action, as being done for Anonymous/ Pseudonymous complaints.  
The complaints which have no Vigilance angle, will be referred to the department concerned for necessary action.
8. The Complainants are also advised not to continue lodging complaint on the same subject repeatedly.
9. If a complaint against a public servant is found to be malicious, vexatious or unfounded, following actions against the complainant may be initiated:

“The complainant is liable for action under section 182 of Indian Penal Code. Further, if the complainant is a public servant he is liable for departmental action as an alternative or in addition to suitable action under Section 182 Indian Penal Code”, refer para no. 26 Special Chapter on Vigilance Management in Public Sector Enterprises for details.

**नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)

**निगम कार्यालय**

पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत

फोन Phone: 91-674-2301988-99, फैक्स Fax: 91-674-2301290, वेबसाइट Website : <http://www.nalcoindia.com>

CIN: L27203OR1981GOI000920

**National Aluminium Company Limited**

(A Government of India Enterprise)

**Corporate Office**

P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, INDIA